न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :– 148/2025
दायर दिनांक :– 25.06.2025

जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2025/282
निर्णय दिनांक :– 16.10.2025

1. पालूदेवी पत्नी जीवणराम जाति विश्नोई निवासी तालरिया हाल देगावडी तह. बाप जिला फलोदी
2. जगदीश पुत्र जीवणराम जाति विश्नोई निवासी तालरिया हाल देगावडी तह. बाप जिला फलोदी
3. सहीराम पुत्र जीवणराम जाति विश्नोई निवासी तालरिया हाल देगावडी तह. बाप जिला फलोदी
4. महीराम पुत्र जीवणराम जाति विश्नोई निवासी तालरिया हाल देगावडी तह. बाप जिला फलोदी

–वादीगण

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी

–प्रतिवादी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,15एएए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थितः– 1. श्री राजेन्द्रसिंह सोंलकी अधिवक्ता वादी
2 पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप

–:: निर्णय ::–

वादीगण ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,15एएए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इस आशय से पेश किया है कि वादीगण के नाम से ग्राम तालरिया पटवार क्षेत्र बोडाना तहसील बाप जिला फलोदी के खसरा नम्बर 2693/1 रकबा 35–04 बीघा भूमि स्थित है। उक्त भूमि के गैर खातेदार वादीगण के पूर्वज जीवणराम पिता बरसिंगाराम जाति विश्नोई आवंटन हुई थी। उक्त भूमि वर्तमान में वादीगण के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। इसलिए वादीगण ग्राम तालरिया पटवार क्षेत्र बोडाना के खसरा नम्बर 2693/1 रकबा 35–04 बीघा भूमि में खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने के अधिकारी है। उक्त भूमि वादीगण के पूर्वज जीवणराम पुत्र बरसिंगाराम को आवंटन हुई थी और उसी दिन मौके पर चल कर वादीगण के पूर्वज ने कब्जा प्राप्त कर लिया था। उक्त आवंटन के आधार पर वादीगण के पूर्वज जीवणराम के पक्ष में नामान्तरकरण भरा जाकर स्वीकृत हुआ। उक्त नामान्तरकरण भरते समय पटवारी हल्का ने सरासर गलत तरीके से उक्त नामान्तरकरण के कॉलम संख्या 9 में उक्त भूमि के पूर्व खातेदार वादीगण के पूर्वज जीवणराम को गैर खातेदार दर्ज कर दिया जबकि वादीगण का उक्त भूमि पर आवंटन से लेकर आज दिन तक कब्जा चला आ रहा है। उक्त भूमि पर वादीगण की रहवासीय ढाणीयां इत्यादि बने हुवे है। जिसमें वादीगण अपने परिवार सहित बारह ही मास निवास करते आ रहे है तथा बरसात के समय में काश्त कर प्राकृतिक पैदावार का उपयोग करते आ रहे है। उक्त भूमि जरिये विरासत नामान्तरकरण के वादीगण को प्राप्त हुई। इसलिये वादीगण ग्राम तालरिया के खसरा नम्बर 2693/1 रकबा 35–04 बीघा भूमि में गैर खातेदारी से खातेदारी की घोषणा करवाने के अधिकारी है। जिसका यह दावा पेश है।

वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली जाकर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिये समन तलब किया गया। समन बाद तामिल प्राप्त होने पर प्रतिवादी पैरोकार सरकार ने जवाब प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी पैरोकार सरकार ने जवाब में बताया कि ग्राम तालरिया पटवार क्षेत्र बोडाना तहसील बाप के खसरा नम्बर 2693/1 रकबा 35–04 बीघा भूमि में वादीगण का

16/10/25

लगातार कब्जा काश्त चला आ रहा है। उक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भू–राजस्व बकाया नहीं होने से वादीगण को गैर खातेदार से खातेदार दर्ज किया जाना उचित है। चूंकि वादिनी के वाद का प्रतिवादी की तरफ से कोई प्रतिरोध नहीं होने से पत्रावली में तनकीयात कायम नहीं की गयी। वकील वादी पालूदेवी ने अपने साक्ष्य का शपथ पत्र पेश किया व इनके बयान कलमबद्व किये गये। वादीगण अधिवक्ता और साक्ष्य नही करवाना चाहते है। पत्रावली बहस में रखी गई।

वकील वादीगण ने अपनी बहस में वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम तालरिया पटवार क्षेत्र बोडाना तहसील बाप के खसरा नम्बर 2693/1 रकबा 35–04 बीघा भूमि वर्तमान में वादीगण के नाम दर्ज राजस्व अभिलेख है। वादग्रस्त भूमि पर वादीगण का कब्जा आवंटन के दिन से आज दिन तक लगातार चला आ रहा है जो तथ्य तहसीलदार बाप के जवाब से साबित है। इसलिए वादीगण को गैर खातेदार से खातेदार घोषित किये जाने के आदेश फरमावे।

प्रतिवादी सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि ग्राम तालरिया पटवार क्षेत्र बोडाना तहसील बाप के खसरा नम्बर 2693/1 रकबा 35–04 बीघा भूमि में वादीगण का आवंटन से लेकर आज दिन तक लगातार कब्जा काश्त व उक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भू–राजस्व बकाया नहीं होने से गैर खातेदार से खातेदार दर्ज किया जाना उचित है।

अधिवक्ता वादीगण एवं पैरोकार सरकार की बहस सुनी जाकर पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात एवं पैरोकार सरकार के जवाब का अवलोकन किया जिससे यह साबित है कि उक्त वादग्रस्त भूमि ग्राम तालरिया पटवार क्षेत्र बोडाना तहसील बाप के खसरा नम्बर 2693/1 रकबा 35–04 बीघा भूमि में वादीगण के पिता को पूर्व में आवंटित हुई थी जो वर्तमान राजस्व रेकर्ड में वादीगण के नाम से गैर खातेदारी दर्ज है। जो पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात से साबित है। उक्त भूमि पर वर्तमान में वादीगण का कब्जा काश्त है इन तथ्यों को तहसीलदार बाप ने अपने जवाब मे कथन किया है। इसी अनुसार वादीगण को गैर खातेदार से खातेदार घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है। वादीगण का वाद स्वीकार किये जाने योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

आदेश

वाद वादी स्वीकार किया जाता है कि ग्राम तालरिया पटवार क्षेत्र बोडाना तहसील बाप के खसरा नम्बर 2693/1 रकबा 35–04 बीघा भूमि में वादीगण को गैर खातेदार से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार बाप वादीगण के नाम बकाया राजस्व मांग (यदि हो तो) राजकोष में जमा करवाकर खातेदारी अधिकारों का नामान्तरकरण खोल कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद कर आदेश की पालना करें। डिक्री पर्चा अलग से जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम हो, बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 16.10.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

16/10/25

(सुखाराम पिण्डेल आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

डिगरी बमुकदमें इब्तदाई

(आदेश 21 नियम 6, 7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप जिला–फलोदी

बइजलास पीठासीन अधिकारी श्री सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

1. पालूदेवी पत्नी जीवणराम जाति विश्नोई निवासी तालरिया हाल देगावडी तह. बाप जिला फलोदी
2. जगदीश पुत्र जीवणराम जाति विश्नोई निवासी तालरिया हाल देगावडी तह. बाप जिला फलोदी
3. सहीराम पुत्र जीवणराम जाति विश्नोई निवासी तालरिया हाल देगावडी तह. बाप जिला फलोदी
4. महीराम पुत्र जीवणराम जाति विश्नोई निवासी तालरिया हाल देगावडी तह. बाप जिला फलोदी

–वादीगण

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी

–प्रतिवादी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,15एएए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

मुकदमा संख्याः– 148 / 2025

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू मेरे सुखाराम पिण्डेल पीठासीन अधिकारी व हाजिर श्री राजेन्द्रसिंह सोलंकी मिनजानिब मुदई व प्रतिवादी पैरोकार सरकार मिनजानिब मुदायलहा पेश होकर हुकम दिया जाता है एवं डिक्री दी जाती है कि वाद वादी स्वीकार किया जाता है कि ग्राम तालरिया पटवार क्षेत्र बोडाना तहसील बाप के खसरा नम्बर 2693 / 1 रकबा 35–04 बीघा भूमि में वादीगण को गैर खातेदार से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार बाप वादीगण के नाम बकाया राजस्व मांग (यदि हो तो) राजकोष में जमा करवाकर खातेदारी अधिकारों का नामान्तरकरण खोल कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद कर आदेश की पालना करें।नीचे

मुतालिक	बाबत्
खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर वसूल याबी तक	फीस सदी सालाना आज की तारीख को अदा करे।

बसब्ब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 18.10.2025 जारी की गई।

18/10/25

(सुखाराम पिण्डेल R.A.S.)

सहायक कलक्टर

बाप (फलोदी)

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प			स्टाम्प वकालत नामा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनताना वकील		
मेहनताना वकील			खर्चा वाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बाबत् इजराय हुक्मनामा		
बाबत् इजराय हुक्मनामा			मुत्फरिक		
मिजान			मिजान		

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्च यह हो फरीकन का चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो न तो दर्ज किया जावे।